(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 34 / 2012

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1– हेमा पुत्र दयाराम जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ (मृतक)
1/1 रामलाल पुत्र हेमा जाति बंजारा निवासी जगपुरा, राणपुर रोड के पास कोटा
1/2 परसराम पुत्र हेमा जाति बंजारा निवासी जगपुरा, राणपुर रोड के पास कोटा
1/3 उदय सिंह पुत्र हेमा जाति बंजारा निवासी जगपुरा, राणपुर रोड के पास कोटा
1/4 रतनलाल पुत्र हेमा जाति बंजारा निवासी जगपुरा, राणपुर रोड के पास कोटा
1/5 रूपी पुत्री पुत्र हेमा जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
1/6 खेमीबाई पत्नि हेमा जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा
2– लाला पुत्र दयाराम जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
3– मन्ना पुत्र दयाराम जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
4– भामा पुत्र दयाराम जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
5– खेमी पुत्री पुत्र दयाराम जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ (मृतक)
5/1 हरदा पुत्र खेमी जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
5/2 रामलाल पुत्र खेमी जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
5/3 जयराम पुत्र खेमी जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
5/3 हेमबाई पुत्री खेमी जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
5/4 गंगाबाई पुत्री खेमी जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
5/5 प्रेमबाई पुत्री खेमी जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
5/6 हिराबाई पुत्री खेमी जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
5/7 खेमा पति खेमी जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
6– किशनी पुत्री दयाराम जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2– श्री मदन मोहन नागर अभिभाषक (अप्रार्थी)
क्रम 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6
3– श्री अनोज कुमार शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम ,2,3,4,6)
4– श्री संजय नागर अभिभाषक (अप्रार्थी कम्र 2,3,4,6, व 5/1)

निर्णय दिनांक 10.10.2019

राजस्थान सरकार जर्ये :– प्रार्थी तहसीलदार छबडा ने रेफरेंस केस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 45 रकबा 0.05 हेक्टयर भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला मुताबिक रेकार्ड खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012–2031 मे खाता सरकार मे सिवायचक

दर्ज रेकार्ड थी। उपरोक्त वर्णित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व 88 (2) के अनुसार सरकार के स्वामित्व की ही भूमि है तथा ऐसी भूमियो का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 मे किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन करना वर्जित है।

उक्त ग्राम मदनाखेडी की भूमि खसरा नम्बर 45 रकबा 0.05 हेक्टयर भूमि उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा दयाराम पुत्र नोला जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा के हक मे नियमन/आवंटन की गयी है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 मे हैसियत खातेदार अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 के नाम दर्ज है।

उपरोक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन को खारिज फरमावे। ताकि भूमि को पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज किया जा सके।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर रेफरेंस दिनांक 20.11.2012 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1/1 ता 1/6 एव ंक्रम 2, 3, 4 एव ंक्रम 5/1 एव ंक्रम 6 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर, जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण मे शेष अप्रार्थीगण को भी जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। जिनके बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने कहा कि जो भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला अप्रार्थी को आवंटन की गई है। वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य नही है। रेकार्ड व मौके पर विवादित भूमि गैर मुमकीन नाला अवस्थित है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे। ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना की जा सके।

अप्रार्थी क्रम 1/1 ता 1/6 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि रेफरेंस कार्यवाही मे आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 0.05 हेक्टयर वाके ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ के बाबत नोटिस दिया गया जो निराधार एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है। आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 0.05 हेक्टयर भूमि वाके ग्राम मदनाखेडी अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की है। जिस पर मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। उक्त आराजी बंजड है जिसे अप्रार्थीगण द्वारा धन खर्च कर व मेहनत करके कृषि योग्य बनाया है। उक्त आराजी पर मौके पर कोई नाला पूर्व मे नही था। यदि उक्त आराजी अधिग्रहित की जाती है तो अप्रार्थीगण को नियमानुसार मुआवजा राशि दिलवायी जाना न्यायहित मे अति आवश्यक है। यदि सरकार द्वारा उक्त आराजी की मुआवजा राशि नही दिलवाई गई तो उक्त आराजी को अधिग्रहित करने का सरकार को कोई हक प्राप्त नही है साथ ही उक्त आराजी की मुआवजा राशि अप्रार्थीगण को अदा करने के बाद ही उक्त आराजी को अधिग्रहित करे। अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

अप्रार्थी क्रम 2,3,4,6 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस/वाद नितान्त निराधार एवं असत्य आधारो पर प्रस्तुत किया गया है जबकि वास्तविक तथ्य है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 45 रकबा 0.05 किस्म बंजड द्वितीय प्रतिवादीगण के पिता दयाराम पुत्र नवला को सम्मत 2036–37 मे खातेदारी दी गई थी। उक्त भूमि पर तब से ही प्रतिवादीगण के

पिता दयाराम व प्रतिवादीगण आज तक निरन्तर बेरोकटोक उक्त आराजियात को काश्त करते चले आ रहे है तथा उनका कब्जा चला आ रहा है उक्त भूमि पर कभी भी गैर मुमकीन नाला नही रहा है जबकि प्रतिवादीगण के पिता को उक्त भूमि खातेदारी मे आवंटित कर दी गई थी। उस वक्त भी उक्त भूमि गैर मुमकीन नाला नही थी ओर न ही उक्त भूमि पर वर्तमान मे गैर मुमकीन नाला मौजूद है। प्रतिवादीगण के पिता का देहान्त के पश्चात भी प्रतिवादीगण ही उक्त भूमि को काश्त करते चले आ रहे है प्रतिवादीगण के पिता व प्रतिवादीगण द्वारा काफी रूपया व श्रम खर्च कर काबिल काश्त बनाया गया है। उक्त भूमि के अलावा प्रतिवादीगण के पास आय का कोई जरिया नही है और न ही कृषि भूमि है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण से ले ली गई तो उनकी खातेदारी निरस्त कर दी गई तो प्रतिवादीगण के परिवार के सामने भूखो मरने की नौबत आ जायेगी। अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया रेफरेंस प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी क्रम 5/1 व 6 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि उक्त प्रकरण मे अंकित खसरा नम्बर पर वर्तमान मे नाला व खाल नही है, वहॉ वर्तमान मे समतल काश्त योग्य जमीन है। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण बहुत वर्षो से काबिज काश्त है तथा इस आराजी के अलावा अप्रार्थीगण के पास परिवार के पालन के लिये अन्य कोई जमीन नही है। अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा द्वारा प्रस्तुत किया गया रेफरेंस प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया, अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई भूमि ग्राम मदनाखेडी जिसके खसरा नम्बर 45 रकबा 0.05 हेक्टयर है। जो कि सम्वत् 2012 मे भी राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकीन नाला था, वह भी विद्यमान है। वह आवंटन/नियमन योग्य नही है। उक्त रकबा अप्रार्थी को किस्म गैर मुमकीन नाला का आवंटन/नियमन किया गया है, जो विधि अनुरूप न होने से प्रारम्भतः ही शून्य है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किये जाने के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय बैंच जोधपुर ने दिये है।

परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी तहसीलदार छबडा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य माना जाकर ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.) के खसरा नम्बर 45 रकबा 0.05 हेक्टयर भूमि किस्म गैरमुमकीन नाला अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई है। जिसको निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस मूल प्रार्थना पत्र बाद अनुशंषा माननीय न्यायालय निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो। तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर, राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे रेफरेंस प्रस्तुत करवाकर प्रकरण मे सावचेत होकर पैरवी करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.10.23 11:08:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: